12/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०।
पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस व मनन के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थी ने स्वयं की धारित खातेदारी कृषि भूमि ग्राम मिरगेश्वर के खसरा नं. 120 में आवागमन के लिए कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी ग्राम पंचायत की गोचर भूमि खसरा नं. 114 में से नये रिकॉर्डेड रास्ता की मांग की है। इस संबंध में तहसीलदार बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है तथा अप्रार्थी ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत मिरगेश्वर द्वारा जवाब भी पेश किया जा चुका है परंतु इस संबंध में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-3) विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक- प०2(15) राज-3/2022 जयपुर दिनांक 03-02-2023 के अवलोकन से ज्ञात है कि (1) अपवादिक परिस्थितियों (2) लोक हित प्रयोजनार्थ (3) अन्य भूमि की अनुपलब्धता होने उक्त तीनों शर्तों की पूर्ति

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	होने के पश्चात ही चारागाह ~~बनाने वाले~~ भूमि एवं प्रतिबंधित भूमियों के वर्गीकरण परिवर्तन एवं आवंटन व नियमन पर विचार किया जा सकता है। निजी खातेदार को ~~कम~~ संपरिवर्तन के लिए आवश्यक पहुंच मार्ग हेतु चारागाह भूमि में से रास्ता दिया जाना विधि सम्मत नही है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा जिस रास्ते / रूट से अपनी भूमि तक पहुंच के लिए नये रिकॉर्डेड मार्ग हेतु आवेदन किया है वह भूमि खसरा नं. 119 ग्राम पंचायत मिरगेश्वर के गोचर की भूमि है। ~~एवम्~~ गोचर / चारागाह भूमि में से रास्ता दिए जाने को राज्य सरकार ने अपने निर्देशों में रास्ता दिए जाने के लिए विधि सम्मत नही माना है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।
	सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner